Pashupati Prasad

R.T.P.S → 1319

अनुसूची २१-प्रपत्र संख्या १११

प्रमाण-पत्र, सं०.....1323....., २०

आवेदन.....15776.....२०19

चूँकि श्री Dena Bank Patna Branch.....ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित संपत्ति के सम्बन्ध में बिबंधित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय,

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

इसलिए मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में नहीं १ में और उससे सम्बध अनुक्रमणियों में ता०.01/01/2006.२० से ता०26/04/19..... २० तक तलाशी की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है।

नाम संख्या	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्ठ के प्रति निर्देश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द सं०	वर्ष	पृष्ठ
१	२	३	४	५	६	७	८	९
	Mouza Paharpur	P.S/NO Chandauli 333	Khata 73(0) 76(N)	Plot 483(0) 5/330(N)	Area 50.750 Kmal			

(क) दस्तावेजों के अनुसार विवरण दर्ज करें।

(ख) १। बंधक-पत्र की दशा में, ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते कि इनके बारे में उल्लेख हो।

२। पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लभान दर्ज करें।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले बिक्री अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है। अनु-II के अनुसार सन् 2006 से 26/04/19 तक निम्न व्यक्ति में तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :- जाँचा, उक्त भूमि अवभार से मुक्त पाया।

(हस्ताक्षर) :- Lalit Prasad

(पदनाम) :- UDC

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने कि

(हस्ताक्षर) :- Syed Kamruddin

(पदनाम) :- UDC

कार्यालय :- जिला निबंधन कार्यालय, गया

तारीख : 10-5-19 मुहर।

कार्यालय जिला निबंधक गया

निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर।
10-5-19

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा यथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकार किन्हीं इन्हीं संपत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण-पत्र में शामिल व किये जायेंगे।

(२) निबन्धन अधिनियम की धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियां देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विशिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियों और अनुक्रमणियों उनके सामने रख दी जायगी

(क) किन्तु, चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की है फिर भी, विभाग प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और, चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न ढूँढें गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की छुट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा। जिससे उक्त सम्पति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय जिला निबंधक, गया

प्रमाण-पत्र सं. .....1323..... दिनांक.....10-5-19.....

आवेदक श्री Pashupati Prasad.....क तथा अवभर प्रमाण-पत्र द्वारा प्रबंधक Dena Bank, Patna Branch का उनके पत्र संख्या 694/30/4/19.....दिनांक के आलोक में अग्रसारित।

निबंधन पदाधिकारी का

हस्ताक्षर
10-5-19
नि० प०
गया